

शेख
फा

13.11.14

पत्रावली पेश हुई। उतिवादी अति-
 भाषक द्वारा जिरह हेतु गवाह जगदीश
 व शंकर को न्यायालय में पेश किया गया।
 इसी दौरान वादी अधिभाषक द्वारा अनारगुत
 धारा 5, 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
 1872 का जार्जना-फत पेश किया गया।
 नकल उतिवादी अधिभाषक को दिखाई गई।
 तथा अधिभाषक द्वारा जार्जना-फत की
 बहस सुनी गई। अधिभाषक द्वारा
 बहस पर संक्षिप्त मनन करने के
 पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं
 कि पत्रावली दिनांक 10.5.12 से जिरह
 हेतु नियत है तथा उल्लेख पेश दिनांक
 को उतिवादी के गवाह उपस्थित रहने
 के उपरान्त भी वादी अधिभाषक द्वारा
 जिरह नहीं करना न्यायोचित नहीं
 होने से वादी का जार्जना-फत खारिज
 किया जाता है। ~~वादी अधिभाषक~~
~~जिरह करना चाहते हैं तो ~~उत्प्रेषण~~~~
~~अवसर दिया जाकर पत्रावली वादि~~
~~जिरह दिनांक~~ वादी अधिभाषक
 द्वारा समझ ले जिरह नहीं
 करने के फलस्वरूप उतिवादी अधिभाषक
 द्वारा दस्तावेजों पर उपर्युक्त बहस
 तत्पश्चात् वादी अधिभाषक ने जिरह
 आरम्भ की। अतीत वादी के उतिवादी
 से जमाबन्दी सवत 2068 से 71
 उपर्युक्त कराना खादा) उतिवादी के
 वकिल ने आपत्ति की कि उक्त
 दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं हैं।
 से बड़े गवाह से उपस्थित नहीं
 करवाये जाय) इसी स्थिति पर

जगदीश
शंकर

म

अति
शंकर

K. G. 0

तारीख
हुक्म

अग्रिम आदेश वार्ते परिस दिनांक
17.12.14 को पेश हो।

17.12.14

पत्रावली पेश हुई। अकालम उपस्थित/मूल
उपस्थित माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर
में अपील में विचाराधीन होने से मूल पत्रावली
क्षीमातः निषन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को
मिपवारि जाकर वार्ते सुसन्ना दिनांक 23.1.15
को पेश हो।

23/1/2015

पत्रावली पेश। वकुलाम उपस्थित/मूल
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में
अपील में विचाराधीन होने से मूल
पत्रावली क्षीमातः निषन्धक, राजस्व मण्डल
अजमेर को मिपवारि जाकर वार्ते
सुसन्ना दिनांक 26-02-2015 को पेश हो।

26.2.15

पत्रावली पेश हुई। अकालम उपस्थित/मूल
आर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में
विचाराधीन। पत्रावली वार्ते अग्रिम आदेश
वार्ते सुसन्ना दिनांक 6.4.15 को पेश हो।

6.4.15

पत्रावली पेश हुई। अकालम उपस्थित/मूल
आर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में
विचाराधीन। पत्रावली वार्ते सुसन्ना दिनांक
11.5.15 को पेश हो।

11.5.15

पत्रावली पेश हुई। अकालम उपस्थित/मूल
आर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में
विचाराधीन। पत्रावली वार्ते सुसन्ना दिनांक
15.6.15 को पेश हो।